राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2020/ 253 दिनांक :- 16/6/2020

प्राचार्य,
समस्त निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

**विषयः**—सत्र 2020—21 मे समस्त निजी महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया बाबत्।
**संदर्भः**— आयुक्तालय पत्र क्रमांक 1784 दिनांक 04.06.2020।

महोदय,

राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त राजकीय महाविद्यालयों को पत्र क्रमांक 1784 दिनांक 04.06.2020 के द्वारा उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया है। उसी क्रम में समस्त निजी महाविद्यालयों को भी निर्देशित किया जाता है कि वे, महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश नवीनीकरण तिथियाँ निर्धारित करते हुए स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर —पूर्वाद्ध (यदि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर संचालित हो) के प्रवेशित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा /परीक्षा परिणाम का इंतजार किये पूर्णतया अस्थाई रूप से अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की प्रक्रिया सम्पादित करें। विदित रहे कि उक्त कक्षाओं हेतु अध्यापन कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 01.07.2020 है। समयबद्ध प्रक्रिया के मध्येनजर इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें तथा समस्त प्रक्रिया मे राज्य सरकार द्वारा कोविड—19 महामारी के संबंध मे दिये गए दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च तकनीकि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर